न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना

अपील संख्या 19/24 तारीख रज्जू– 18/09/24

1. बलराम पुत्र किरोडी जाति मीना उम्र 28 साल निवासी खण्डीप तहसील वजीरपुर।
–अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार वजीरपुर ।
–रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 30.07.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 22/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खण्डीप के आराजी खं0नं0 888 रकबा 1.00 है0 किस्म सिवायचक पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से तथा सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि पटवारी हल्का खण्डीप ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि बलराम पुत्र किराडी जाति निवासी खण्डीप ने खसरा नम्बर 888 रकबा 1.00 है0 सिवायचक संवत् 2080 फसल खरीफ में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर अतिचार किया है। अतिक्रमी को धारा 91 एलआर एक्ट को नोटिस व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने तथा समुचित अवसर दिया जावे। निर्णय में अतिक्रमी बलराम की उपस्थिति दर्ज बताई गई है तथा उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए , तथ्य अंकित है। पटवारी हल्का के बयान लेकर अतिक्रमी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर उसके खिलाफ अधिनस्थ न्यायालय ने 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा व शास्ति से दण्डित फरमाए जाने का निर्णय दिनांक 06.09.2023 को पारित कर दिया। निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल है जो खारिज होने योग्य है।अदालत मातहत ने अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित ना होते हुये भी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमी से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है। अपीलान्ट खेती नहीं करता है, वह एम0ए0बी0एड है तथा पिछले तीन साल से जयपुर रहकर परिक्षा की तैयारी कर रहा है। अपीलान्ट के हस्ताक्षर भी किसी ने पत्रावली की आर्डरसीट पर कर रखे है। जबकि प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की किसी प्रकार से सूचना नही है। अदालत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:23 IST
Reason: SelfAttested

मातहत ने कानूनी प्रावधानों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर ही अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है, साथ ही पटवारी हल्का की नवीन रिपोर्ट दिनांक 23.07.2025 में अंकित किया है कि उक्त वाद आराजीयात वर्तमान में मौके पर खाली पड़ा है। अपीलार्थी पक्ष ने अपने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र इस आशय का भी प्रस्तुत किया है कि उक्त वाद आराजीयात से अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोड दिया गया है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। पेरोकार सरकार ने दौरान बहस यह भी निवेदन किया है कि साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। पटवारी हल्का की नवीन रिपोर्ट दिनांक 23.07.2025 में अंकित किया है कि उक्त वाद आराजीयात वर्तमान में मौके पर खाली पड़ा है। अपीलार्थी पक्ष ने अपने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र इस आशय का भी प्रस्तुत किया है कि उक्त वाद आराजीयात से अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोड दिया गया है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश शास्ति , बेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अति0 जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:23 IST
Reason: SelfAttested